# मध्यप्रदेश शासन
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/3616/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 5/4/2012

प्रति,

- समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
- समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.

**विषयः भारी यातायात वाली आंतरिक सड़कों पर सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण।**

**संदर्भः** म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र कमांक 9777/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I /2012 भोपाल, दिनांकः 10.10.2011 एवं 1785/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 17.02.2012

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। इन पत्रों के साथ सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़कों के निर्माण से संबंधित मार्गदर्शी प्राक्कलन तथा डिजाइन भी संलग्न की गई थी। 3 मी. चौड़ाई की सड़क के निर्माण के लिये काली मिट्टी क्षेत्र में 200 एम.एम. मोटाई की उप आधार परत के ऊपर 100 एम.एम. की एम–10 कांक्रीट एवं इसके ऊपर 100 एम.एम. मोटाई की एम–15 कांक्रीट का प्रावधान किया गया है, जबकि कड़ी मिट्टी क्षेत्र में उप आधार परत के ऊपर 150 एम.एम. मोटाई की एम–15 कांक्रीट का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों को निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया थाः

1. ग्रामों के आंतरिक मार्गों पर हल्का स्थानीय ग्रामीण यातायात जिसमें खाली एवं लदी हुई बैलगाड़ियां, खाली एवं लदी हुई ट्रेक्टर ट्रालियां, लाईट मोटर व्हीकल्स आदि शामिल हैं, चलता है।
2. आंतरिक मार्गों का निर्माण सामान्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है एवं ग्राम पंचायतों की सीमित तकनीकी क्षमता को देखते हुये एम–30 जैसे सीमेंट कांक्रीट मिश्रणों की डिजाइन करना एवं उनका निर्माण किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

प्रदेश में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक मार्गों में हल्का स्थानीय ग्रामीण यातायात ही होता है, अतः उपरोक्तानुसार आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाना युक्तिसंगत है।

कुछ जिलों के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि कुछ ग्रामों में 3 मी. या उससे अधिक चौड़ाई के आंतरिक मार्गों पर भारी यातायात जिसमें लदे हुये ट्रक, ओव्हर लोडेड ट्रक या अधिक एक्सल लोड के वाहन निकल रहे हैं। उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन आंतरिक मार्गों की चौड़ाई 3 मी. है एवं यदि उन मार्गों पर भारी यातायात चलता है तो ऐसे स्थानों पर सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़कें बनाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेवमेंट का डिजाइन किया जाना अनिवार्य होगा। भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रकाशन आई.

आर.सी.:एस.पी.:62–2004 Guidelines for Design and Construction of Cement Concrete Pavement for Rural Roads में निहित प्रावधानों के अनुसार ही सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का डिजाइन किया जाये एवं उपरोक्त प्रकाशन में दी गई विधि से ही निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि किया जाये।

उपरोक्त प्रकाशन के अनुसार सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट की लागत तुलनात्मक दृष्टि से काफी अधिक हो सकती है, अतः इसका प्रावधान तब ही किया जाये जब तक कि अपरिहार्य न हो। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त प्रकाशन के आधार पर सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण प्रावधानित गुणवत्ता नियंत्रण के साथ ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जाना उपयुक्त नहीं होगा एवं यह कार्य लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से ही कराया जाना अपेक्षित होगा।

यह स्मरण रहे कि भारी यातायात वाली आंतरिक ग्रामीण सड़कें केवल अपवाद स्वरूप ही पाई जाती हैं, सामान्य रूप से नहीं, अतः यातायात का आंकलन पूरी सावधानी से किया जाना चाहिये। जहां भारी यातायात की स्थिति हो वहां यातायात का आंकलन सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाकर यातायात संबंधी प्रमाण पत्र दिया जायेगा एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा इसका भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा। उपरोक्त प्रकरणों के प्राक्कलनों पर कार्यपालन यंत्री से नीचे के अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी।

ग्रामों की सीमेंट कांक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी करते समय उपरोक्त निर्देशों का ध्यान रखा जावे।

3 मी. से कम चौड़ाई वाले मार्गों पर भारी यातायात अपेक्षित नहीं हो सकता, अतः मार्गदर्शी सेक्शन तथा प्राक्कलन अनुसार ही आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाये।

3/5/12

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/3617/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 05/5//2012

**प्रतिलिपिः–**

1. संभागायुक्त समस्त म.प्र.।
2. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, पूर्व/पश्चिम, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त, म.प्र.।

3/5/12

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग